



## आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

ब्लॉक-4, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन.मार्ग, जयपुर-302015, राजस्थान

वेबसाइट-<http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce>

ई.मेल-hrd.cce@gmail.com फोननं. 0141-2705471

क्रमांक: एफ1(14)पीएस/आकाशि/2023/482

दिनांक: 14.7.2023

### —:आदेश:—

राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) संशोधन नियम दिनांक 14-10-2022 में प्राचार्य पद हेतु वर्णित प्रावधानानुसार पात्र एवं योग्य पाये गये आचार्यों का चयन कर निम्नांकित सूची अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजसेस के अधीन संचालित महाविद्यालयों में 01 वर्ष अथवा सेवानिवृत्ति जो भी पहले हो, के लिए प्राचार्य पद के विरुद्ध एतद्द्वारा तुरन्त प्रभाव से प्रतिनियुक्ति पर लगाया जाता है:-

क्र. सं.	आचार्य का नाम (डॉ.)	विषय	वर्तमान पदस्थापन (राजकीय महाविद्यालय)	नवीन पदस्थापन (राजसेस के अधीन संचालित महाविद्यालय)
1	कन्हैया लाल मीना	भूगोल	राजगढ़ (अलवर)	टहला, थानागाजी
2	मधु सिंह	भूगोल	अजमेर	कन्या किशनगढ़

उक्त प्राचार्यों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार भत्ता देय होगा।

(सुनील शर्मा)

आयुक्त

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री उच्च शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
3. संबंधित महाविद्यालय/आचार्य को प्रेषित कर लेख है कि वे अपने नवीन पदस्थापन स्थान पर तत्काल कार्यग्रहण कर, कार्यग्रहण रिपोर्ट संयुक्त निदेशक, एच.आर.डी. की ई-मेल पर प्रेषित करवाया जाना सुनिश्चित करें।
4. वेबसाइट प्रभारी को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. टी. सी. बैरवा)

संयुक्त निदेशक (एच.आर.डी.)  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।